

727(अ), तारीख 6 दिसंबर, 1991, सा.का.नि. 431(अ), तारीख 24 अप्रैल, 1992, सा.का.नि. 586(अ), तारीख 2 सितंबर, 1993, सा.का.नि. 118(अ), तारीख 8 मार्च, 1995, सा.का.नि. 3(अ), तारीख 1 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 43(अ), तारीख 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 151(अ), तारीख 1 मार्च, 2001, सा.का.नि. 159(अ), तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 174(अ), तारीख 1 मार्च, 2003, सा.का.नि. 589(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 287(अ), तारीख 13 मई, 2005, सा.का.नि. 479(अ), तारीख 26 जून, 2008, सा.का.नि. 742(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2011, सा.का.नि. 846(अ), तारीख 25 नवंबर, 2011, सा.का.नि. 323(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2012, सा.का.नि. 400(अ), तारीख 25 जून, 2013, सा.का.नि. 222(अ), तारीख 13 मार्च, 2014, सा.का.नि. 490(अ), तारीख 11 जुलाई, 2014, सा.का.नि. 356(अ) तारीख 29 मार्च, 2016, सा.का.नि. 941(अ), तारीख 30 सितंबर, 2016, सा.का.नि. 51(अ), तारीख 18 जनवरी, 2017, सा.का.नि. 385(अ), तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2017

G.S.R.1236 (E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Time Deposit Rules, 1981, namely:

1. (1) These rules may be called the National Savings Time Deposit (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the National Savings Time Deposit Rules, 1981, in rule 5, in sub-rule (1), for the words “two hundred”, the words “one hundred” shall be substituted.

[F. No. 1/10/2016-NS.II]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number G.S.R. 664(E), dated the 17th December, 1981, and subsequently amended *vide* notification numbers: - G.S.R. 300(E), dated the 1st April, 1982, G.S.R. 257(E), dated the 11th March, 1983, G.S.R. 502(E), dated the 9th July, 1984, G.S.R. 418(E), dated the 10th May, 1985, G.S.R. 193(E), dated the 12th February, 1986, G.S.R.362(E), dated the 1st April, 1987, G.S.R. 1005(E), dated the 23rd December, 1987, G.S.R. 353(E), dated the 18th March, 1988, G.S.R. 507(E), dated the 23rd May, 1990, G.S.R. 191(E), dated the 27th March, 1991, G.S.R. 580(E), dated the 12th September, 1991, G.S.R. 727(E), dated the 6th December, 1991, G.S.R. 431(E), dated the 24th April, 1992, G.S.R. 586(E), dated the 2nd September, 1993, G.S.R. 118(E), dated the 8th March, 1995, G.S.R. 3(E), dated the 1st January, 1999, G.S.R. 43(E), dated the 15th January, 2000, G.S.R. 151(E), dated the 1st March, 2001, G.S.R. 159(E), dated the 1st March, 2002, G.S.R. 174(E), dated the 1st March, 2003, G.S.R. 589(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 287(E), dated the 13th May, 2005, G.S.R. 479(E), dated the 26th June, 2008, G.S.R. 742(E), dated the 4th October, 2011, G.S.R.846(E), dated the 25th November, 2011, G.S.R. 323(E), dated the 25th April, 2012, G.S.R. 400 (E), dated the 25th June, 2013, G.S.R. 222(E), dated the 13th March, 2014, G.S.R. 490(E), dated the 11th July, 2014, G.S.R. 356 (E) dated the 29th March, 2016, G.S.R. 941(E), dated the 30th September, 2016, G.S.R. 51(E), dated the 18th January, 2017 and G.S.R. 385(E), dated the 31st March, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि. 1237(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम लोक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2017 है।
- (2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 में, पैरा 3, उप-पैरा (3) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

परंतु कि यदि कोई निवासी जिसने इस स्कीम के अधीन खाता खोला था तत्पश्चात मुद्रा की परिपक्वता की अवधि के दौरान वह अनिवासी हो जाता है तो वह खाता उस व्यक्ति के अनिवासी होने के दिन से बंद समझा जाएगा और उसे डाकघर बचत खाते पर उस माह के आखिरी दिन, जिसमें वास्तविक रूप से उसका खाता बंद हुआ है, में लागू दर पर व्याज का भुगतान किया जाएगा।

[फा. सं. 1/10/2016-एनएस-II]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. 1136, तारीख 15 जून, 1968, को प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसे अधिसूचना सं. सा.का.नि. 368(अ), तारीख 1 अगस्त, 1972, सा.का.नि. 217(अ), तारीख 9 मार्च, 1979, सा.का.नि. 271(अ), तारीख 16 मार्च, 1983, सा.का.नि. 54(अ), तारीख 7 फरवरी, 1984, सा.का.नि. 895(अ), तारीख 23 जून, 1986, सा.का.नि. 1013(अ), तारीख 20 अगस्त, 1986, सा.का.नि. 793(अ), तारीख 29 अगस्त, 1989, सा.का.नि. 477(अ), तारीख 26 मई, 1994, सा.का.नि. 489(अ), तारीख 6 जुलाई, 1999, सा.का.नि. 908(अ), तारीख 6 दिसंबर, 2000, सा.का.नि. 679(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2002, सा.का.नि. 768(अ), तारीख 15 नवंबर, 2002, सा.का.नि. 585(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 690(अ), तारीख 27 अगस्त, 2003, सा.का.नि. 755(अ), तारीख 19 नवंबर, 2004, सा.का.नि. 291(अ), तारीख 13 मई, 2005, सा.का.नि. 956(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2010, सा.का.नि. 844(अ), तारीख 25 नवंबर, 2011, सा.का.नि. 225(अ), तारीख 13 मार्च, 2014, सा.का.नि. 496(अ), तारीख 11 जुलाई, 2014, सा.का.नि. 588(अ), तारीख 13 अगस्त, 2014, सा.का.नि. 350(अ) तारीख 29 मार्च, 2016, सा.का.नि. 940(अ), तारीख 30 सितंबर, 2016 a सा.का.नि. 388(अ) तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2017

G.S.R.1237 (E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Provident Fund Act, 1968 (23 of 1968) , the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Public Provident Fund Scheme, 1968, namely: -

1. (1) These Scheme may be called the Public Provident Fund (Amendment) Scheme, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Public Provident Fund Scheme, 1968, in paragraph 3, in sub-paragraph (3), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that if a resident who opened an account under this scheme, subsequently becomes a non Resident during the currency of the maturity period, the account shall be deemed to be closed with effect from the day he becomes a non-resident and interest with effect from that date shall be paid at the rate applicable to the Post Office Saving Account up to the last day of the month preceding the month in which the account is actually closed”.

[F. No. 1/10/2016-NS.II]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

Note : The Principal Scheme was published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 1136, dated the 15th June, 1968 and subsequently amended vide notification numbers G.S.R. 368(E), dated the 1st August, 1972, G.S.R. 217(E), dated the 9th March, 1979, G.S.R. 271(E), dated the 16th March, 1983, G.S.R. 54(E), dated the 7th February, 1984, G.S.R. 895(E), dated the 23rd June, 1986, G.S.R. 1013(E), dated the 20th August, 1986, G.S.R. 793(E), dated the 29th August, 1989, G.S.R. 477(E), dated the 26th May, 1994, G.S.R. 489(E), dated the 6th July, 1999, G.S.R. 908(E),

dated the 6th December, 2000, G.S.R. 679(E), dated the 4th October, 2002, G.S.R. 768(E), dated the 15th November, 2002, G.S.R. 585(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 690(E), dated the 27th August, 2003, G.S.R. 755(E), dated the 19th November, 2004, G.S.R. 291(E), dated the 13th May, 2005, G.S.R. 956(E), dated the 7th December, 2010, G.S.R. 844(E), dated the 25th November, 2011, G.S.R. 225(E), dated the 13th March, 2014, G.S.R. 496(E), dated the 11th July, 2014, G.S.R. 588(E), dated the 13th August, 2014, G.S.R. 350 (E) dated the 29th March, 2016, G.S.R. 940 (E), dated the 30th September, 2016 and G.S.R. 388(E) dated the 31st March, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि.1238(अ).—केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत पत्र (VIII निर्गम) नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत पत्र (VIII निर्गम) (संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. राष्ट्रीय बचत पत्र (VIII निर्गम) नियम, 1989 में, नियम 4 में, उप-नियम (3) में, विद्यमान परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

“परंतु कि यदि एक निवासी भारतीय प्रमाणपत्र खरीदकर, करेंसी की परिपक्वता अवधि के दौरान अनिवासी हो जाता है तो जिस दिन वह अनिवासी बन जाता है उस दिन पत्र का भुगतान होगा या भुगतान किया हुआ माना जाएगा और समय-समय पर डाकघर बचत खाते पर लागू दर से व्याज का भुगतान उस दिन से भुगतान किए जाने के पहले के महीने के आखिरी दिन तक, जिसमें यह वास्तव में भुगतान किया गया हो, किया जाएगा।”

[फा. सं. 1/10/2016-एनएस.II]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 496(अ), तारीख 1 मई, 1989, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसे सा.का.नि. 508(अ), तारीख 23 मई, 1990, सा.का.नि. 120(अ), तारीख 8 मार्च, 1995, सा.का.नि. 7(अ), तारीख 1 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 491(अ), तारीख 6 जुलाई, 1999, सा.का.नि. 47(अ), तारीख 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 156(अ), तारीख 1 मार्च, 2001, सा.का.नि. 572(अ), तारीख 2 अगस्त, 2001, सा.का.नि. 163(अ), तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 711(अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2002, सा.का.नि. 179(अ), तारीख 1 मार्च, 2003, सा.का.नि. 590(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 591(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 820(अ), तारीख 16 अक्टूबर, 2003, सा.का.नि. 289(अ), तारीख 13 मई, 2005, सा.का.नि. 744(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2011, सा.का.नि. 842(अ), तारीख 25 नवंबर, 2011, सा.का.नि. 318(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2012, सा.का.नि. 397(अ), तारीख 25 जून, 2013, सा.का.नि. 226(अ), तारीख 13 मार्च, 2014, सा.का.नि. 494(अ), तारीख 11 जुलाई, 2014, सा.का.नि. 354(अ), तारीख 29 मार्च, 2016, सा.का.नि. 944(अ), तारीख 30 सितंबर, 2016, सा.का.नि. 54(अ), तारीख 18 जनवरी, 2017 और सा.का.नि. 382(अ), तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा संशोधित किए गए।